बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः–नवादा जिलान्तर्गत अंचल–वारिसलीगंज,मौजा–मकनपुर, में नयी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद (By-products) आधारित अन्य इकाईयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लि॰ (IPL), नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति ।

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत् "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" अन्तर्गत पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

इस क्रम में राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–29.07.2026 की बैठक में रैयाम (दरभंगा) एवं सकरी (मधुबनी) में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नयी सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद (By-products) आधारित अन्य इकाईयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लि॰ (IPL), नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है।

2. वारिसलीगंज (नवादा) में चीनी मिल की स्थापना हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल वारिसलीगंज मौजा–मकनपुर, थाना सं०–474, खाता सं०–927 एवं 926 के विभिन्न खेसरा की कुल रकवा–99.39 (निन्यानवें दशमलव तीन नौ) एकड़ अनावाद सर्वसाधारण एवं अनावाद बिहार सरकार की भूमि (**विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–1**) गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय स्थायी निःशुल्क हस्तांतरण किया गया है।

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल पर नयी चीनी मिल की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि॰ (NFCSF) से गन्ना संभाव्यता प्रतिवेदन (Cane Feasibility Report) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराया गया है। तदनुसार वारिसलीगंज (नवादा) में 3500 टी॰सी॰डी॰ क्षमता का चीनी मिल, 14 मेगावाट सह–विद्युत उत्पादन इकाई, इथेनॉल डिस्टीलरी, कम्प्रेसड बायोगैस (CBG) एवं सोलर प्लांट की स्थापना की जा सकती है। 3500 टी॰सी॰डी॰ चीनी मिल तथा 14 मेगावाट सह–विद्युत उत्पादन इकाई परियोजना हेतु कुल लागत राशि 348 (तीन सौ अड़तालीस) करोड़ रुपये प्राक्कलित है।

3. वारिसलीगंज (नवादा) में चीनी कॉम्पलेक्स की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि॰ (NFCSF) द्वारा तैयार किए गए DPR के आलोक में IPL से प्राप्त प्रस्ताव तथा पत्राचार के उपरान्त IPL के पत्र दिनांक 10.10.2026 के माध्यम से प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं :–

3.1 **परियोजना का स्वरूपः**– IPL के द्वारा वारिसलीगंज में एकीकृत चीनी कॉम्पलेक्स की स्थापना हेतु 3500 टीसीडी क्षमता की चीनी मिल के साथ 14 मेगावाट सह–उत्पादन ईकाई, डिस्टिलरी, सीबीजी प्लांट एवं सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी

3.2 **चरणबद्ध स्थापनाः**– IPL ने गन्ना पेराई कार्य स्थिर होने एवं पर्याप्त गन्ना उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद द्वितीय चरण में डिस्टिलरी एवं सीबीजी प्लांट स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

3.3 **पूँजीगत सब्सिडीः**– IPL द्वारा रैयाम परियोजना हेतु स्वीकृत प्रोत्साहन एवं सब्सिडी के समान लाभ देने का अनुरोध किया गया है। संशोधित परियोजना लागत पर 40% पूँजीगत सब्सिडी तीन किस्तों में, भूमि लीज समझौते की तिथि से दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

3.4 **अतिरिक्त भूमिः**–वर्तमान में प्रस्तावित 99 एकड़ भूमि के अतिरिक्त लगभग 25 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3.5 **अन्य सुविधाएँः**– रैयाम परियोजना हेतु स्वीकृत अन्य प्रोत्साहनों के अनुरूप सुविधाएँ तथा अधिशेष विद्युत के क्रय हेतु पावर परचेज एग्रीमेंट की व्यवस्था का अनुरोध किया गया है।

4. इंडियन पोटाश लि॰ (IPL), कंपनी एक्ट में निबंधित कंपनी है जिसमें बहुमत अंशधारक इफको है तथा इसमें भारत सरकार का भी निवेश है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के प्रबंध निदेशक ही आई पी एल के चेयरमैन हैं। उर्वरक क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय स्तर पर इस कंपनी की उपस्थिति है तथा यह एक लाभ में संचालित कंपनी है। वर्ष 2025–26 में कर पूर्व लाभ 2000 करोड़ रूपये से ज्यादा है। इंडियन पोटाश लि॰ के Sugar एवं Bio-fuel Divison के द्वारा चीनी कारखाना का संचालन एवं चीनी तथा अन्य उपोत्पाद (By-products) आधारित कई उत्पादों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2010 से अबतक इंडियन पोटाश लि॰ द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश चीनी निगम लि० के घाटे में चल रहे 07 मिलों का अधिग्रहण करते हुए उसका पुनरूद्धार एवं सफल संचालन किया जा रहा है तथा सभी चीनी मिल वर्तमान में लाभ में है। इसके अतिरिक्त गुजरात में 03 बंद पड़ी चीनी मिलों एवं उड़ीसा राज्य में 02 सहकारी चीनी मिलों का पुनरूद्धार इंडियन पोटाश लि॰ द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रसंगों से स्पष्ट है कि आई पी एल को चीनी मिल की स्थापना का अनुभव है तथा संस्थान ने उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं उड़ीसा में चीनी

मिल की स्थापना किया गया है। अतएव वारिसलीगंज में चीनी मिल की स्थापना हेतु IPL एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 की स्वीकृति दी गई है। उक्त नीति में अलग–अलग अवयवों के लिए अलग–अलग अनुदान का प्रावधान है। इस नीति के अंतर्गत ब्याज अनुदान एवं पूंजी अनुदान मद में बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत पर कुल 33% की अधिसीमा निर्धारित है। इससे भिन्न आई.पी.एल द्वारा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत विस्तृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान में दक्षिण बिहार में कोई भी चीनी मिल स्थापित नहीं है। जिसके कारण गन्ना का अच्छादन नगण्य है तथा नई चीनी मिल की स्थापना एक बड़ी चुनौती है। उक्त निवेश हेतु विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में सकरी एवं रैयाम की तरह सभी अवयवों को समेकित करते हुए बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत कुल परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता देने पर विचार किया गया है। इस प्रयोजन हेतु गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2026 के अंतर्गत विभिन्न अवयवों के तहत निर्धारित वित्तीय सीमा को शिथिल करने की आवश्यकता है।

6. NFCSF द्वारा तैयार DPR, IPL से प्राप्त प्रस्ताव तथा राज्य सरकार द्वारा सकरी एवं रैयाम में चीनी मिल की स्थापना हेतु पूर्व में दी गई स्वीकृति के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिए गए हैं :–

(क) वारिसलीगंज (नवादा) में प्रथम चरण में 3500 टीसीडी क्षमता का चीनी मिल जिसका विस्तारीकरण 5000 टीसीडी तक किया जा सके, के साथ 14 मेगावाट सह–विद्युत उत्पादन इकाई, की स्थापना तथा द्वितीय चरण में इथेनॉल डिस्टीलरी, कम्प्रेसड बायोगैस (CBG) एवं सोलर प्लांट की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लि॰ (IPL), नई दिल्ली द्वारा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा वारिसलीगंज (नवादा) में उपलब्ध 99.39 (निन्यानवे दशमलव तीन नौ) एकड़ भूमि IPL को **एक रुपये** के टोकन राशि पर 30 वर्षों की लीज पर हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त लीज अवधि का विस्तार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 के अनुरुप किया जाएगा।

(ग) वर्तमान में दक्षिण बिहार में कोई भी चीनी मिल स्थापित नहीं है। जिसके कारण गन्ना का आच्छादन नगण्य है तथा नई चीनी मिल की स्थापना एक बड़ी चुनौती है। उक्त निवेश हेतु विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अतएव विशेष परिस्थिति में IPL को बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत विस्तृत परियोजना लागत का **40% वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी जाती है।** इस प्रयोजन हेतु गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति– 2026 के अंतर्गत विभिन्न अवयवों के तहत निर्धारित वित्तीय सीमा को शिथिल किया जा सकेगा। **वित्त विभाग, बिहार के परामर्श के आलोक में वित्तीय सहायता स्वीकृत परियोजना लागत (बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर) की 40% अथवा मो० 139.20 करोड़ (एक सौ उनचालीस करोड़ बीस लाख) रूपये दोनों में जो कम हो तक सीमित रखी जायेगी।**

(घ) IPL द्वारा चीनी मिल की स्थापना के क्रम में किये गये वित्तीय निवेश के समानुपातिक रूप से पूंजी एवं ब्याज अनुदान मद में अनुमान्य वित्तीय सहायता का भुगतान एकरारनामा की तिथि से 05 अर्द्धवार्षिक किस्तों में करने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। अन्य मदों में अनुमान्य लाभ दावा के आधार पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरुप किया जा सकेगा।

(ड.) चीनी मिल की स्थापना से संबंधित सभी संव्यवहारों का निर्धारण गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा किया जायेगा।

(च) गन्ना उद्योग विभाग, बिहार वारिसलीगंज (नवादा) में स्थापित चीनी मिल का प्रशासी विभाग होगा।

7. आर्थिक सहायता की राशि बजट शीर्ष सामान्य श्रेणी अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 201–चीनी, उपशीर्ष 0103–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–45–2852082010103, विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी अन्तर्गत प्राप्त बजट/राज्य आकस्मिकता निधि/ अनुपूरक बजट उपबंध से विकलनीय होगा। आवश्यकतानुसार राशि का उपबंध कर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के पश्चात् राशि विमुक्त किया जाएगा।

8. प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–28.07.2026 को मद संख्या–15 में संचिका संख्या–02/रेगु०–2–900–07/2026 के पृष्ठ–37/टि० पर प्राप्त है।

9. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जाएगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(धर्मेन्द्र सिंह) 04/11

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/रेगु॰–2–900–07/2026–2123 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी, वित्त विभाग (ई–गजट, प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के अगामी अंक में करते हुए इसकी 200 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

04/11

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/रेगु॰–2–900–07/2026– 2123 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार/लेखा एवं बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/11

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/रेगु॰–2–900–07/2026–2123 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/11

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/रेगु॰–2–900–07/2026– 2123 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ /विकास आयुक्त बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

04/11

सचिव,

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02 / रेगु॰–2–900–07 / 2026– 2123 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव 04/11

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02 / रेगु॰–2–900–07 / 2026– 2123 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव 04/11

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं0–06/खा0 म0 नवादा (चीनी मिल)–90/2026– 580 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/26

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–23.09.2026 के मद संख्या–11 में दी गई स्वीकृति के आलोक में नवादा जिलान्तर्गत अंचल–वारिसलीगंज, मौजा–मकनपुर, थाना सं0–474, खाता सं0–927 एवं 926 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–99.39 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) अनावाद सर्वसाधारण एवं अनावाद बिहार सरकार की भूमि पर चीनी मिल की स्थापना हेतु गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्त्तें ख़ास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय–समय पर निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्रों से आच्छादित होंगे।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
01/10/26
(अविनाश कुमार)
उप सचिव

निबंधित

ज्ञापांक–06/खा0 म0 नवादा (चीनी मिल)–90/2026– 580 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/26

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख सं0–01/2026–27 संलग्न कर लौटाई जाती है।

अनु0–यथोक्त।
(मूल अभिलेख संख्या–01/2026–27)

01/10/26
(अविनाश कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक–06/खा0 म0 नवादा (चीनी मिल)–90/2026– 580 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/26

प्रतिलिपिः–आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई–मेल

01/10/26
(अविनाश कुमार)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक–06/खा0 म0 नवादा (चीनी मिल)–90/2026– 580 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/26

प्रतिलिपिः–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/26

(अविनाश कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक–06/खा0 म0 नवादा (चीनी मिल)–90/2026– 580 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/26

प्रतिलिपिः–सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/26

(अविनाश कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक–06/खा0 म0 नवादा (चीनी मिल)–90/2026– 580 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/26

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/26

(अविनाश कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक–06/खा0 म0 नवादा (चीनी मिल)–90/2026– 580 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/26

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, प्रशाखा–08, बिहार, पटना/गार्ड फाईल, प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/26

(अविनाश कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक–06/खा0 म0 नवादा (चीनी मिल)–90/2026– 580 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/26

प्रतिलिपि–आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01/10/26

(अविनाश कुमार)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

भूमि विवरणी–परिशिष्ट–I

क्र0	मौजा / थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	प्रस्तावित रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	मकनपुर / 474	927	794	2.43	धनहर दो
2			795	0.21	धनहर दो
3			796	3.43	धनहर दो
4			799	0.12	भीठ दो
5			800	0.13	भीठ दो
6			801	0.13	धनहर एक
7			802	0.15	पुरानी परती
8			803	0.21	धनहर दो
9			804	0.17	धनहर दो
10			807	0.48	धनहर दो
11			808	0.18	भीठ दो
12			809	0.50	धनहर दो
13			810	0.30	धनहर दो
14			811	0.09	धनहर दो
15			812	0.26	धनहर दो
16			813	0.10	धनहर दो
17			814	0.27	धनहर दो
18			815	0.40	धनहर दो
19			818	0.50	धनहर एक
20			820	0.07	धनहर दो
21			821	0.11	धनहर दो
22			822	0.43	धनहर दो
23			823	0.19	धनहर दो
24			824	1.02	टिल्हा
25			825	0.14	धनहर दो
26			827	0.11	भीठ दो
27			828	0.29	धनहर दो
28			829	0.32	धनहर दो
29			830	0.60	भीठ दो
30			831	0.33	धनहर एक
31			833	0.56	धनहर दो
32			837	0.12	धनहर दो
33			839	0.94	धनहर दो
34			840	0.41	धनहर दो
35			841	1.77	धनहर दो

Scanned with OKEN Scanner

36			842	1.74	धनहर दो
37			843	0.54	धनहर दो
38			844	1.02	धनहर दो
39			845	0.18	धनहर दो
40			846	0.16	धनहर दो
41			847	0.56	धनहर दो
42			848	0.52	धनहर दो
43			849	0.87	धनहर एक
44			851	0.36	धनहर दो
45			852	1.15	धनहर दो
46			854	0.11	धनहर एक
47			855	0.29	धनहर दो
48			859	3.21	धनहर दो
49			862	0.51	धनहर दो
50			864	0.47	धनहर एक
51			865	0.86	धनहर एक
52			867	5.59	धनहर दो
53			870	1.70	धनहर एक
54			872	0.19	धनहर एक
55			873	0.22	धनहर एक
56			874	0.11	धनहर एक
57			875	1.64	धनहर एक
58			876	0.96	धनहर एक
59			877	2.39	धनहर एक
60			879	1.79	धनहर एक
61			881	1.08	धनहर एक
62			882	0.12	धनहर एक
63			885	0.57	धनहर एक
64			886	0.50	धनहर एक
65			889	0.13	पुरानी परती
66			890	1.09	भीठ दो
67			891	0.55	धनहर दो
68			892	0.52	भीठ दो
69			906	0.29	पुरानी परती
70			910	0.29	धनहर एक
71			911	1.21	धनहर एक
72			912	1.17	धनहर एक
73			913	0.10	धनहर एक
74			915	1.52	धनहर एक
75			916	0.66	धनहर एक

Scanned with OKEN Scanner

76			917	0.33	धनहर दो
77			918	0.63	धनहर एक
78			919	0.15	धनहर एक
79			920	0.67	धनहर एक
80			922	0.99	धनहर एक
81			923	0.26	धनहर एक
82			926	1.58	धनहर एक
83			927	1.06	धनहर एक
84			928	0.70	धनहर एक
85			929	0.66	भीठ दो
86			932	0.68	धनहर एक
87			933	0.52	धनहर एक
88			934	0.23	धनहर एक
89			935	1.32	धनहर एक
90			936	0.45	धनहर एक
91			937	0.45	धनहर एक
92			939	0.28	धनहर एक
93			940	0.44	धनहर एक
94			941	0.52	धनहर एक
95			942	0.71	धनहर एक
96			944	0.35	धनहर एक
97			946	0.60	धनहर एक
98			947	0.80	धनहर एक
99			948	0.19	धनहर एक
100			949	0.81	धनहर एक
101			952	0.14	धनहर एक
102			953	1.01	धनहर एक
103			953/7402	0.24	धनहर दो
104			953/7403	0.24	धनहर दो
105			954	0.24	धनहर एक
106			956	0.29	धनहर एक
107			957	0.36	धनहर एक
108			958	0.17	धनहर एक
109			960	1.84	धनहर एक
110			961	0.59	धनहर एक
111			962	0.21	धनहर एक
112			963	0.23	धनहर एक
113			964	0.52	धनहर एक
114			966	0.73	धनहर दो
115			967	0.23	धनहर एक

Scanned with OKEN Scanner

116			968	0.12	धनहर एक
117			969	0.09	धनहर एक
118			970	0.10	धनहर एक
119			971	0.33	धनहर एक
120			972	0.17	धनहर एक
121			973	0.19	धनहर एक
122			975	0.14	धनहर एक
123			976	0.60	धनहर दो
124			977	0.42	धनहर एक
125			980	0.07	धनहर एक
126			981	0.05	धनहर एक
127			984	0.13	धनहर एक
128			985	0.29	धनहर एक
129		926	992	0.45	धनहर एक
130			993	0.11	धनहर एक
131			995	0.45	भीठ दो
132			996	0.23	धनहर एक
133			997	0.10	भीठ दो
134			1000	0.41	धनहर दो
135			1001	0.14	धनहर एक
136			1003	0.11	धनहर एक
137			1006	0.27	धनहर एक
138			1009	0.37	भीठ दो
139			1016	0.26	पुरानी परती काबिल आबाद
140			1017	0.35	पुरानी परती काबिल आबाद
141			1028	0.63	भीठ दो
142			4004	0.14	धनहर एक
143			4005	0.12	धनहर एक
144			4006	0.09	धनहर एक
145			4033	0.30	धनहर एक
146			4034	0.23	धनहर एक
147			4037	1.00	भीठ दो
148			4041	0.12	धनहर दो
149			4044	0.47	भीठ दो
150			4075	0.24	धनहर एक
151			4094	0.08	मीटी आल
152			4074	0.30	धनहर एक
153			4045	1.10	धनहर दो
154			4092	0.32	पुरानी परती काबिल आबाद
155			4085	0.24	धनहर एक

Scanned with OKEN Scanner

156			4082	0.23	धनहर एक
157			4084	0.36	धनहर एक
158			4189	0.54	धनहर एक
159			4090	0.48	धनहर एक
160			4053	0.37	धनहर एक
161			4059	0.44	धनहर एक
162			4063	0.31	धनहर एक
163			4064	0.75	धनहर एक
164			4095	0.34	धनहर एक
165			4078	0.67	धनहर एक
166			4088	0.80	धनहर एक
167			4061	0.31	धनहर एक
168			4096	0.32	धनहर एक
169			4097	0.54	धनहर एक
170			4091	0.61	धनहर एक
171			4103	0.60	पुरानी परती काबिल आबाद
172			4105	0.29	धनहर एक
173			4109	0.10	धनहर एक
174			4111	0.07	धनहर एक
175			4112	0.09	धनहर एक
176			4115	0.49	धनहर एक
177			4123	0.24	धनहर एक
178			4124	0.27	धनहर एक
179			4130	1.90	धनहर एक
180			4131	0.11	धनहर एक
			कुल रकवा	99.39 एकड़	

०१/१/२६

(अविनाश कुमार)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner